

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
मंगलवार, 06 जनवरी, 1997 / पौष 16, 1919 ॥शक॥

संख्या : 367

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है, सदन की 2.1.98 को सम्पन्न बैठक में सदन ने माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित किया था :-

"अध्यक्ष महोदय एक पाँच सदस्यों की कमेटी मनोनीत करेंगे जो गाँव सभा या सरकारी जमीन पर 31.12.1997 तक कब्जों के बारे में तथा जिन व्यक्तियों ने उसे बेचा या खरोदा है या अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश दिया है, उसकी जांच करेंगी। इस संबंध में 10.1.1998 तक सदस्यों से इस शर्त के साथ शिकायतें आमंत्रित की जाएं कि जो सदस्य शिकायत करेगा यदि उसकी शिकायत असत्य पाई गई तो वह इस सदन से इस्तीफा देगा।"

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पास कोई जानकारी/ शिकायत है तो कृपया उसे उपरोक्त प्रस्ताव का पालन में रखते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सचिवालय की 12.1.1998 तक भेजने का कष्ट करें ताकि उसे समिति के समक्ष उसके विचार हेतु रखा जा सके।

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Assembly and other matters)

Tuesday, January 06, 1998/Pausha 16, 1919 (Saka)

No. 367

As the Hon'ble Members are aware, at the sitting of the House held on 2nd January, 1998, the House had adopted the following motion moved by the Hon'ble Chief Minister:-

"That a Committee consisting of 5 members be nominated by the Speaker to inquire into the encroachment or Sale or purchase by persons of Government or Gaon Sabha land upto 31.12.1997 and orders issued by the officials in this regard. The complaint in this regard may be invited from members with the condition that if the complaint is found untrue the member concerned will have to resign from the membership of the House."

In view of the above motion, Hon'ble Members are requested to send the requisite information/complaints if any, along with necessary documents to this Secretariat by 12.1.1998 positively so that the same may be placed before the Committee for its consideration.

P.N.GUPTA  
SECRETARY